कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
न्यायालय, लोकपाल, मनरेगा
जिला– वैशाली

दिनांक	वाद संख्या–32/13–14 में पारित आदेश की प्रतिलिपि	अभ्युक्ति
30.11.13	यह वाद श्री विरेन्द्र राय एवं अन्य ग्राम+पंचायत– मालपुर, प्रखण्ड– पातेपुर, जिला– वैशाली के दिनांक 26.09.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत–पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है। ग्राम पंचायत मालपुर में मनरेगा योजना संख्या 13/09–10, 14/ 09–10 तथा 15/ 09–10 की योजनाओं में वर्ष 2011–12 में काम किये गये थे। जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। शिकायतकर्त्ता के शिकायत–पत्र के संबंध में पंचायत रोजगार सेवक श्री ओम प्रकाश से कारण पृच्छा की मांग की गयी परन्तु कारण पृच्छा प्राप्त नहीं किया जा सका। अतएव दिनांक 19.11.2013 को मेरे द्वारा ग्राम पंचायत का भ्रमण किया गया। मेरे साथ शिकायकर्त्ता श्री विरेन्द्र राय, पंचायत रोजगार सेवक, श्री ओम प्रकाश, पंचायत तकनीकी सहायक, श्री संजीव कुमार, मुखिया पति श्री शिवचन्द्र राय के साथ अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। ग्राम पंचायत के ग्राम मालपुर स्थित पंचायत भवन में शिकायत–पत्र में लगाये गये आरोप संबंधित योजनाओं के अभिलेख का अवलोकन किया गया। लगाये गये आरोप वृक्षारोपण 2009–10 की योजनाओं में वर्ष 2011–12 में किये गये कार्यो के भुगतान किये जाने से संबंधित था। योजना संख्या 13/09–10, 14/09–10 तथा 15/09–10 के अभिलेख के अवलोकनार्थ पाया गया कि योजना सं0 13/09–10 के वर्ष 2011–12 में वनपोषक द्वारा केवल 30 दिनों का कार्य श्री जयनारायण ठाकुर, पिता– रामचरण ठाकुर मस्टर रॉल प्रपत्र सं0 701679 द्वारा दिनांक 01.04.11 से 15.04.11की अवधि तक किया गया था। जिसका भुगतान चेक सं0 368912 दिनांक 13.08.12 को किया गया है। योजना सं0 14/09–10 के वर्ष 2011–12 में वनपोषकों द्वारा केवल 60 (साठ) दिनों का कार्य श्रीमती सुशीला देवी, पति– श्री जयनारायण ठाकुर एवं श्रीमती मल्ली देवी, पति– श्री वीरेन्द्र राय (शिकायतकर्त्ता) मस्टर रॉल प्रपत्र सं0 क्रमशः 701681 तथा 701831 द्वारा दिनांक 01.04.2011 से 15.04.2011 की अवधि तक	

किया गया था जिसका भुगतान चेक सं0 368912 दिनांक 13.08.12 एवं 368917 दिनांक 10.11.2012 को किया गया है।

योजना सं0 15/09–10 में वर्ष 2011–12 में वनपोषक द्वारा केवल 30(तीस) दिनों का कार्य श्री गणेश ठाकुर , पिता– धीचरण ठाकुर मस्टर रॉल प्रपत्र सं0 701683 द्वारा दिनांक 01.04.2011 से 15.04.2011 की अवधि तक किया गया था। जिसका भुगतान चेक सं0 368912 दिनांक 13.08.2012 को किया गया है।

शिकायतकर्त्ता के शिकायत के संबंध में पंचायत रोजगार सेवक ने बताया कि उक्त तीनों योजनाओं में पिछले दो सत्र से वनपोषक का अधिकांश कार्य उनके या उनके परिवार के किसी सदस्यों द्वारा ही किया जा रहा है। सत्र 2011–12 में भी उनकी पत्नी श्रीमती मल्ली देवी को वनपोषक का कार्य दिया गया है। शेष दो अन्य योजनाओं में अन्य वनपोषकों द्वारा कार्य किया गया है।

मौके पर उपस्थित शिकायतकर्त्ता से पूछने पर उन्होनें बताया कि उक्त तीनों योजनाओं में प्रतिवर्ष शुरू से आज तक मैने या मेरे परिवार के सदस्यों ने ही वनपोषक के रूप में कार्य किया है। किसी दूसरे वनपोषक में कोई कार्य नहीं किया है। मगर शिकायतकर्त्ता अपनी शिकायत के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकें। उनके द्वारा बताया गया कि योजना सं0 15/2009–10 में वनपोषक श्री गणेश ठाकुर द्वारा कोई कार्य नहीं किया है। इसकी जांच की जा सकती है।

मौके पर उपस्थित सभी लोग श्री गणेश ठाकुर के आवास पर कार्य किये जाने संबंधी पूछताछ करने पहूँचे। गणेश ठाकुर स्वयं उपस्थित नहीं थे। उनकी पत्नी ने बताया कि श्री गणेश ठाकुर ने वृक्षारोपण की उक्त योजना में कभी काम नहीं किया है। गणेश ठाकुर के संबंध में बताया गया कि खेत में आलू रोपने के लिए गये हुए है। उपस्थित सभी लोग उनकी आलू के खेत में गये और उनसे जानकारी प्राप्त की। वहॉ पर गणेश ठाकुर ने कार्य करने संबंधी उत्तर दिये मगर संतोषजनक नहीं था। उक्त गॉव के अन्य ग्रामीण श्री वीरचन्द्र राय एवं देवेन्द्र राय द्वारा श्री गणेश ठाकुर के कार्य किये जाने के संबंध में बताया कि उक्त योजनाऍ गॉव की मुख्य सड़क एवं बाजार से सटे किनारे है। वहॉ पर गॉव का पेठिया भी लगता है उक्त योजनाओं में श्री गणेश ठाकुर को कभी काम करते हुए नहीं देखा गया है। पंचायत रोजगार सेवक को निदेश दिया गया कि योजनाओं संबंधी मस्टर

रॉल कार्यालय में प्रस्तुत करें।

योजनाओं के अभिलेख का अवलोकन किया गया। स्थल भ्रमण एवं अभिलेख के अवलोकनार्थ पाया गया कि श्री गणेश ठाकुर के कार्य एवं भुगतान में अनियमितता बरती गयी है। पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया को निदेश दिया जाता है कि श्री गणेश ठाकुर वनपोषक के भुगतान हेतु दुरूपयोग की गयी राशि रू0 3600/--उप विकास आयुक्त, कार्यालय, वैशाली के कार्यालय में पन्द्रह दिनों को अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें तथा शिकायतकर्त्ताओं को मनरेगा के कार्यो में एक सप्ताह के अन्दर रोजगार उपलब्ध कराना ससमय सुनिश्चित करें। इसका अनुपालन कार्यक्रम पदाधिकारी, पातेपुर एवं पंचायत रोजगार सेवक करेंगे।अनुपालन प्रतिवेदन तीन सप्ताह में प्रस्तुत करेंगें।

इन्हीं निष्कर्ष के साथ इस वाद का निष्पादन किया जाता है।

हस्ताक्षर

30/11/13

लोकपाल, मनरेगा

वैशाली।

ज्ञापांक 2371 / अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 30/11/13

प्रतिलिपिः मुखिया, ग्राम पंचायत--मालपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत --मालपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ । कार्यक्रम पदाधिकारी, पातेपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।

30/11/13

लोकपाल, मनरेगा

वैशाली।

ज्ञापांक 2371 / अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 30/11/13

प्रतिलिपिः श्री वीरेन्द्र राम , ग्राम+पो0-- मालपुर, प्रखण्ड-- पातेपुर, जिला-- वैशाली को सूचनार्थ।

30/11/13

लोकपाल, मनरेगा

वैशाली।

ज्ञापांक 2371 / अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 30/11/13

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

30.11.13

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 2371 /अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 30/11/13

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

30.11.13

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 2371 / अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 30/11/13

प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

30.11.13

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।